



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 30 सितम्बर, 2025

आश्विन 8, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6

संख्या 1532/81-6-2025(सी० संख्या-706564)

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-60

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पर्यावरण (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1995 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पर्यावरण (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025

- 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पर्यावरण (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम और 2025 कही जायेगी। प्रारम्भ
- (2) यह दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
- 2- उत्तर प्रदेश पर्यावरण (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1995 में नियम-5 में, नीचे स्तम्भ-1 में नियम 5 (2) का दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया संशोधन जायेगा, अर्थात:-

	स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
भर्ती का स्रोत	5-(2) उप निदेशक (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशक/वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा: परन्तु पदोन्नति के लिए यदि कोई	5-(2) उपनिदेशकों के पद मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे: परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो सरकारी विभाग के किसी अधिकारी को जो

उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो सरकारी विभाग के किसी अधिकारी को जो पद के लिए विहित अर्हता रखता हो, पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति की उपलब्धता तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है।	पद के लिए विहित अर्हता रखता हो, पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति की उपलब्धता तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है।
--	---

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN Pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitutions, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 1532/LXXXI-6-2025 (C. no. 706564) dated September 30, 2025:

No1532 ./LXXXI-6-2025 (C. no. 706564)

Dated Lucknow, September 30, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Environment (Gazetted) Service Rules, 1995 :

**UTTAR PRADESH ENVIRONMENT (GAZETTED) SERVICE
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2025**

Short title and
Commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Environment (Gazetted) Service (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force, with effect from the 16th day of December 2011.

Amendment of
Rule 5 (2)

2. In the Uttar Pradesh Environment (Gazetted) Service Rules, 1995, in rule 5, for existing sub rule (2), set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2, shall be *substituted*, namely:—

	<u>COLUMN-1</u> <i>Existing Sub rule</i>	<u>COLUMN-2</u> <i>Sub-rule as hereby substituted</i>
Source of Recruitment	5-(2) Deputy Director (i) Fifty per cent by direct recruitment through the commission. (ii) fifty percent by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Director/ Scientific officer who have completed seven years service as	5-(2) The posts of Deputy Directors shall be filled by Hundred per cent promotion from amongst substantively appointed Assistant Directors, who have completed seven years of service as such on the first day of the years of recruitment: Provided that if no suitable Persons are available for promotion, an officer of the Government Department, who

	such on the first day of the years of recruitment: Provided that if no suitable person is available for promotion, an officer of a Government Department who possesses the qualification prescribed for the post, may be appointed on deputation till availability of a suitable person for promotion.	possess the prescribed qualifications for the post may be kept on deputation until a suitable person is available for promotion.
--	--	---

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.